निर्भयरामभट्टकृतम्
आशौच (सूतक) निर्णय
हिन्दी-भाषा-सहित

श्री नाथद्वारस्थ विद्याविलासि गोस्वामि तिलकायित
श्री १०८ श्री राकेशजी (श्री इन्द्रदमन जी)
महाराज श्री की आज्ञा से प्रकाशित

पूज्यपाद् आचार्य वर्य्य गोस्वामि तिलकायित
श्री १०८ श्री इन्द्रदमन जी (श्री राकेश जी) महाराज

नाथद्वारा

जन्मदिनांक २४ फरवरी
सन् १९५०

जन्मतिथि फाल्गुन शुक्ल ७
विक्रम सम्वत् २००६

निर्भयरामभट्टकृतम्
आशौच (सूतक) निर्णय
हिन्दी-भाषा-सहित

श्री नाथद्वारस्थ विद्याविलासि गोस्वामि तिलकायित
श्री १०८ श्री राकेशजी (श्री इन्द्रदमन जी)
महाराज श्री की आज्ञा से प्रकाशित

प्रकाशक एवं संशोधक

त्रिपाठी यदुनन्दन श्री नारायण जी शास्त्री

साहित्यायुर्वेदाचार्य, एम.ए. हिन्दी, संस्कृत

अध्यक्ष

विद्या विभाग

मन्दिर मण्डल नाथद्वारा (राज.)

प्रति-१०००

न्योछावर [illegible] रुपये

संवत् २०६४

।।श्रीहरिः।।

संक्षिप्त भूमिका-

आशौच निर्णय के लिये यद्यपि धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु शुद्धिमयूख, याज्ञवल्क्यस्मृति, मिताक्षरा, षडशीति, भट्टोजिदीक्षितकृत आशौच प्रकरण आदि अनेक ग्रन्थ हैं परन्तु इस "आशौच-निर्णय" ग्रन्थ में इन सब ग्रन्थों का निष्कर्ष संक्षेप में दे दिया गया है। इस उत्तम ग्रन्थ के निर्माता श्रीनिर्भयराम भट्ट विशनगरा ब्राह्मण थे। ये शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के मार्मिक विद्वान् एवं वैष्णव थे। इन्होंने उत्सव-निर्णय, अधिकरणसंग्रह, श्रीसुबोधिनी जी के दशमस्कन्ध की कारिका विवृति, वल्लभवंशवृक्ष, आशौच-निर्णय आदि ग्रन्थों का निर्माण किया था। ये कांकरोली में गोस्वामि श्रीव्रजभूषणजी महाराज के समय में विद्यमान थे। इन्होंने विक्रम संवत् १८४३ में वंशवृक्ष की समाप्ति में निम्न श्लोक लिखे हैं-

गुणरत्नसुधासिन्धुगोस्वामिव्रजभूषणैः।
स्वीकृतो निर्भयाख्योऽहं कृतवान् कल्पपादपम्।।१।।
रचितः कल्पवृक्षोऽयं त्रिचतुर्वसुचन्द्र के।
अब्दे शुक्लद्वितीयायां मासि ज्येष्ठे सुधाकरे।।२।।

इनके कोई पुत्र नहीं था इसलिए इन्होंने अपने शिष्य लल्लूजी शिवरामजी को ही अपने ठाकुरजी श्रीमदन मोहनजी तथा अपनी पुस्तकें दे दी। विद्वत्ता और वैष्णवता के कारण उस समय के तिलकायित महाराज श्रीगिरिधारीजी भी इनका आदर करते थे। इस "आशौच-निर्णय" ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन विक्रम संवत् १६८१ में गोस्वामितिलक श्री १०८ श्रीगोवर्द्धनलाल जी महाराज श्रीकी आज्ञा से शीघ्रकवि श्रीनन्दकिशोरजी शास्त्री ने किया था उसमें उक्त ग्रन्थ का अनुवाद व्रजभाषा एवं गुजराती में था उस संस्करण को समाप्त हुए बहुत समय हो गया। वैष्णवों की अधिक मांग के कारण नित्यलीलास्थ गोस्वामि तिलकायित श्री १०८ श्री गोविन्दलाल जी महाराज श्रीकी आज्ञा से इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया गया था। पूर्व प्रकाशन की तरह यदि इसमें व्रजभाषा और गुर्जर भाषा दोनों दी जाती तो पुस्तक का कलेवर बढ़जाता हिन्दी भाषियों के लिये गुर्जरभाषा का कोई उपयोग न रहता और गुर्जरभाषा भाषियों के लिये व्रजभाषा अनुपयुक्त है। इसलिए इसके हिन्दी अनुवाद के लिये श्री नारायणजीशास्त्री को आज्ञा हुई तदनुसार हिन्दी भाषा सहित इस ग्रन्थ को प्रकाशित किया गया था। उस संस्करण को समाप्त हुए भी अब बहुत समय होगया। अतः गोस्वामि तिलकायित श्री १०८ श्री राकेशजी (श्रीइन्द्रदमनजी)

महाराजश्री की आज्ञा से चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अनुवाद एवं संशोधन में सावधानी रखते हुए भी त्रुटियों की संभावना हो सकती है योग्य विद्वान् उन्हें सुधार लेने की कृपा करें।

भवदीय

त्रिपाठी यदुनन्दन नारायण जी शास्त्री

साहित्यायुर्वेदाचार्य, एम. ए. हिन्दी, संस्कृत

अध्यक्ष

विद्या विभाग, मन्दिर मण्डल, नाथद्वारा

- : अनुक्रमणिका : -

जननाशौच

मरणाशौच

कन्या के मरण में विशेष

सगोत्राशौत्र

अतिक्रान्ताशोच

परगोत्राशौच

आशौच सन्निपात
(एक आशौच में अन्य आशौच के आजाने मे)

अस्थिस्पर्श विचार

अन्य विचार

।। श्री हरिर्जयति ।।

।। निर्भयरामकृत आशौचनिर्णयः ।।

मङ्गलश्लोकः

१ श्रीद्वारकाधीशपदारबिन्दं नत्वा सदाचारविचाररम्यम् ।।
आशौचशुद्धयै कुरुते निबन्धं विद्वज्जनो निर्भयरामसंज्ञः ।।

निर्भयरामनामक विद्वान् श्री द्वारकाधीश के चरणारविन्द को नमस्कार करके आशौच की शुद्धि के लिये सदाचार के विचार से मनोहर निबन्ध को करता है।

२ "अथपाराशरः" आ चतुर्थाद्भवेत्स्रावः पातः पंचषष्ठयोः ।।
अत ऊर्ध्वंप्रसूतिः स्याद्धशाहं सूतकं भवेत् ।।१।।
इति तत्र स्रावे आद्यमासत्रये मातुस्त्रिरात्रमाशौचम् ।
उपरि आषष्ठं माससमसंख्यादिनमाशौचम् ।
चतुर्थेचत्वारि पंचमे पंच । षष्टे षट् इत्यर्थ ।

पाराशर ऋषि का कहना है कि 'प्रथम मास से लेकर चतुर्थ मासतक जो गर्भ गिरता है उसे गर्भस्राव कहते है और पांचवे छठे महिने में गिरने वाले गर्भ को गर्भपात कहते हैं। सप्तम मास से आगे उसको प्रसूती कहते है। प्रसूती (प्रसव) में दशदिन का आशौच होता है स्राव, पात और प्रसव इनकों से स्नान में पहले

मास से तीन मास तक माता को तीन दिन का आशौच है। इसके अनन्तर छठे मास तक मास की संख्या के अनुसार उतने दिन का माता को आशौच होता है अर्थात् चतुर्थ मास में चार दिन का पंचम मास में पांच दिन का तथा छठे महिने में छः दिन का आशौच होता है।

३ सपिण्डानां तु स्नानमात्रेण शुद्धिः स्रावे ॥ पाते तु दिनत्रयम्॥ सप्तममासप्रभृति तु स्वजात्युक्तं दशाहादिजननाशौचं सपिण्डानां मातुच्च ॥

गर्भस्राव में (१) सपिण्डों की स्नान मात्र से शुद्धि होती है। गर्भपात में (२) तीन दिन से और सप्तममास से लेकर जो प्रसूती (प्रसव) होती है उसमें सपिण्डों को तथा माता को अपनी अपनी जाति में बताये गये दश रात्रि आदि आशौच होता है। अर्थात् ब्राह्मण को दश रात्रि, क्षत्रिय को द्वादश रात्रि, वैश्य को पन्द्रह रात्रि और शूद्र को एक मास।

४ जन्माशौचमध्ये शिशुमरणे मृताशौचं नाऽस्त्येव ॥
जननिमित्तमेवाऽऽशौचम् ॥

---

१ मूल पुरूष से लेकर सात पीढी तक सपिण्ड कहे जाते है।

२ "सद्य;शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति इस मरीच ऋषि के वचनानुसार आजकल सपिण्ड जननाशौच नहीं मानते है।

निष्प्राणनिर्गमेऽप्येवम् ॥

जननाशौच में बालक के मरजाने पर मरणाशौच नहीं होता है। उसमें तो जननिमित्तक ही आशौच होता है। मरे हुए बालक के उत्पन्न होने में भी जननाशौच ही होता है मरणाशौच नहीं होता है।

५ नालच्छेदात्पूर्वं शिशुमरणे सपिण्डानां दिनत्रयमेव वृद्धिसूतकम् । तदनन्तरं मरणे तु संपूर्णमाशौचम् ।।

नालच्छेदन से पहले यदि बालक मर जाता है तो सपिण्डों को तीन दिन का जननाशौच लगता है। नालच्छेदन के अनन्तर मरने में तो पूरा ही जननाशौच लगता है।

६ दशाहादुपरि नामकरणात्पूर्व शिशुमरणे निखननमेव ॥ नाग्न्युदकादिदानम् ॥ ज्ञातीनां सचैलस्नानात्सद्यः शुद्धि ॥

दस दिन के बाद और नामकरण संस्कार से पूर्व बालक के मर जाने में उसे गाडना चाहिये। उसका अग्नि संस्कार न करना और न जलांजलि देना। सपिण्डों की सचैल स्नान (सवस्त्र स्नान) से सद्यः शुद्धि होती है।

७ नामकरणदूर्ध्वं दन्तजननात्प्राड.मरणे तु दहनखननयोर्विकल्पः॥ तत्र दहने ज्ञातीनामेकाहम् ॥ अनुगमनं कृताकृतम् ॥ खननपक्षे तु सद्यः शुद्धि ॥

नामकरण के अनन्तर और दांत निकलने के पहले

बालक के मरण में गाडना या जलाना ऐच्छिक है। जलाने में सपिण्डों को एक दिन का आशौच हैं। अनुगमन (शव के पीछे जाना या न जाना) इच्छा पर है। गाडने में सपिण्डों की सद्य; शुद्धि है।

८ दन्तजननादूर्ध्वमपि त्रिवर्षपर्यन्तमकृतचूडस्य खननदहनयोर्विकल्प एव ॥ खनने एकाहमाशौचम् ॥ दहने त्रिरात्रम् ॥ अत्रोनद्विवर्षान्तमनुगमनं कृताकृतम् ॥ पश्चान्नित्यम् ॥

बालक के दांत निकलने के अनन्तर तीन वर्ष पर्यन्त यदि चूडाकर्म (मुण्डन) नहीं हुआ हो तो उसके मरण में गाडने तथा जलाने में विशेषता है। गाडने में एक दिन का आशौच और जलाने में तीन रात्र का आशौच होता है। यहां दो वर्ष से कम के बालक के मरने में उसका अनुगमन करना या न करना इच्छा पर है। उसके बाद अर्थात् दो वर्ष के बाद अनुगमन आवश्यक हैं।

९ कृतसमन्त्रचूडस्य त्रिवर्षात्पूर्वमपि तूष्णीमुदकदानं त्रिरात्रमाशौचं च नियतमेव ॥ मातापित्रोस्तु अनुपनीतशिशुमरणे दहनखतनयोरविशेषेण त्रिरात्रम् ॥

वैदिक मंत्रों द्वारा जिसका चूडाकर्म (मुण्डन) संस्कार हुआ हो वह तीन वर्ष की अवस्था के पहले भी मर जाय तो नाम और गोत्र के उच्चारण के विना केवल चुपचाप उसको जलांजलि देना और तीन रात्रि का आशौच मानना। बिना यज्ञोपवीत वाले बालक के मरण में चाहे उसको गाडा जाय या जलाया जाय माता-पिता

को तीन दिन का आशौच लगता है।

१० अथ स्त्र्यपत्यमरणे तु विशेष: ॥ त्रिपुरुषपर्यन्त ज्ञातीनामाचौलात्सद्य: शुद्धि ॥ ततो वाग्दानादर्वाक् एकाहमाशौचम्। ततो विवाहादर्वाक पतिपक्षे च यहमाशौचम् ॥ पित्रोस्तुजननाशौचानन्तरं पुत्रीमरणे त्रिरात्रमाशौचमिति निर्णीतं शुद्धिमयूखे संस्कृतास्वपि कन्यासु मृतासु पित्रोस्त्रिरात्रमाशौचम् ॥

कन्या के मरने में विशेषता यह है कि तीन पुरुष तक सपिण्ड को जब तक चौल (मुण्डन) संस्कार न हो तब तक सद्य: (शीघ्र ही) शुद्धि होती है। वाग्दान (सगाई) के पहले मृत्यु हो जाय तो एक दिन का आशौच होता है। और वाग्दान के अनन्तर विवाह से पहले मृत्यु होने में पतिपक्ष और पिता के पक्ष में तीन दिन का आशौच होता है जननाशौच के अनन्तर कन्या के मरने में माता और पिता को तीन दिन का आशौच होता है ऐसा निर्णय शुद्धिमयूख में किया है। विवाह के अनन्तर मृत्यु में भी माता पिता को तीन दिन का आशौच है।

११ पितृगेहे भगिनीमरणे भ्रातुस्त्रिरात्रमाशौचम् पतिगेहे भगिनीमरणे तु पक्षिणी ॥

पिता के घर में बहिन की मृत्यु में भाई को तीन रात्रि का आशौच होता है और पति के घर में बहिन के मरने पर पक्षिणी (डेढ दिन का) आशौच होता है।

१२ एवं पतिगेहे भ्रातृमरणे भगिन्यास्त्रिरात्रमाशौचम् ॥ गृहान्तरमरणे तु पक्षिणी ॥

इसी तरह पति के घर मे भाई के मरने पर बहिन को तीन रात्रि का आशौच होता है। अन्यत्र मरने मे तो पक्षिणी (डेढ दिन का) आशौच होता है।

१३ अविवाहितभगिनीमरणेतु षण्मासानन्तरं खननेएकरात्रम् दहने त्रिरात्रम् ॥

अविवाहित बहिन के मरने में भाई को छः मास के अनन्तर गाडने में एक रात्रि आशौच और जलाने में तीन रात्रि का आशौच है।

१४ एवं दोहित्रोभागिनेयीमरणे खनने स्नानमात्रं दहने पक्षिणी ॥ विवाहानन्तरमपि पक्षिणी ॥

इसी तरह दौहित्री अथवा भानजी के मरने गाडने में स्नान मात्र और जलाने में पक्षिणी आशौच होता है। विवाह के अनन्तर मरने पर भी पक्षिणी आशौच हैं।

१५ पितृगृहे कन्यायाः प्रसवे पित्रोरेकाहं वृद्धाशौचम् ॥

पिता के घर में यदि कन्या के बालक हो तो माता पिता को (१) एक दिन का वृद्धि आशौच होता है।

---

(1) माधवाचार्य का ऐसा मत है कि कन्या के प्रसव में माता तथा पिता को तीन दिन का जननाशौच लगता है। "प्रसवेऽपि त्रिरात्रं पित्रोरेकरात्रं भ्रात्रादिबन्धुवर्गस्य" "दत्तानारी पितुर्गेहे सूर्यताऽथ म्रियेत वा। तद्बन्धुवर्गस्त्वेकेन शुचिस्त-ज्जनकस्त्रिभि;" इति ब्रह्मोक्तेः। त्रिदिन का पक्ष ही मानना एकाह पक्ष गौण है।

१६ सपिण्डजनने उपनीतमरणे च ब्राह्मणस्य दशाहमाशौचम् ॥ क्षत्रियस्य द्वादशाहम् वैश्यस्य पच्चदशाहम् ॥ शूद्रस्य मासम्। सच्छूद्रस्य पक्षम् ॥ अथवा "सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं दशरात्रकम्" इति पक्षः ॥ अत्र देशाचारतो व्यवस्था ॥

सपिण्ड (सात पीढी में) किसी भी बालक बालिका का जन्म हो अथवा यज्ञोपवीत होने पर बालक की मृत्यु हो जाय तो ब्राह्मण को दस दिन का आशौच और क्षत्रिय को बारह दिन का तथा वैश्य को पन्द्रह दिन का एवं शूद्र को एक मास का आशौच होता है। (१) सच्छूद्र को एक पक्ष का आशौच होता है। अथवा सब वर्ण को दस दिन का आशौच होता है ऐसा भी पक्ष है। यहां देशाचार के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिये।

---

१ सच्छूद्रौगोपनापितौ।

१७ अष्टमैकादशद्वादशवर्षाणि ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्यानां क्रमेण मुख्योपनयनकाल:॥ गौणकास्तु ततो द्विगुण:॥ उपनयनाभावेऽपि स्वस्वकालानन्तरं मरणे ब्राह्मणादीनां संपूर्णमाशौचमिति मुख्य: पक्ष:॥ षोडशवर्षनन्तरमिति लोकव्यवहारप्रसिद्धो गौण: पक्ष:॥

आठ, ग्यारह: बारह क्रम से इन वर्षों में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का मुख्य उपनयन (यज्ञोपवीत) काल है। यदि इन वर्षों में उपनयन न हुआ हो तो भी अपने अपने काल के अनन्तर मरण में ब्राह्मण आदि को पूरा ही आशौच होता है यह मुख्य पक्ष है परन्तु सोलह वर्ष के अनन्तर पूरा आशौष होता है। ऐसा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध गौणपक्ष है।

१८ शूद्रस्य तु विवाहाभावेऽपि षोडशवर्षानन्तरं मरणे संपूर्णमाशौचम्॥

शूद्र का तो विवाह न हुआ हो तो भी सोलह वर्ष के अनन्तर मृत्यु में सपिण्डों को संपूर्णशौच होता है।

१९ कूटस्थमारम्भ सप्त पुरुषा: सपिण्डा: ॥ तत: सप्त समानोदका:॥ तत: सगोत्रजा एव ॥ तत्र समानोदके समुत्पन्ने उपनीते मृते च त्रिरात्रमाशौचम् ॥ गोत्रजे तु स्नानाच्छुद्धिरिति केचित् ॥ मिताक्षरादिमते तु एकरात्रम् । व्यवहारोऽप्ययमेव ।

मूल पुरुष से लेकर सात पीढी तक सपिण्ड कहे जाते हैं और आठ पीढी से चौदह पीढी तक समानोदक

एवं चौदह पीढी से इक्कीस पीढी तक सगोत्र कहे जाते हैं। उनमे समानोदक में किसी के यहां बालक का जन्म हुआ हो अथवा उपनयन के अनन्तर मृत्यु हो तो तीन रात्रि का आशौच होता है। गोत्रज के जनम मरण में स्नान मात्र से ही शुद्धि होती है ऐसा कोई कहते हैं। मिताक्षरा आदि के मत से तो एक रात्र का आशौच होता है। व्यवहार भी ऐसा ही देखा जाता है।

२० आशौचकर्तृम्रियमाणयोर्मध्ये एकस्याऽप्यष्टमत्वे उभयोरपि समानोदकत्वप्रयुक्तत्रिरात्रमेवाशौचमिति निर्णीतं मयूखे॥ अनुपनीतसमानोदकमरणे आशौचं नाऽस्तीत्यपि तत्रैवोक्तम्॥ तत्र सूत्याशौचं दशाहादुपरिजनने ज्ञाते नाऽस्त्येवतत्र पितुः स्नानमेव॥

आशौच पालन करने वाले और मरने वाले में किसी एक के अष्टम पीढी में होने पर समानोदकता हो जाता है जिससे उन्हें तीन रात्रिका ही आशौच होता है ऐसा मयूख में निर्णीत किया है। विना यज्ञोपवीत वाले समानोदक की मृत्यु में आशौच नहीं होता है ऐसा निर्णय भी मयूख में किया है। दस दिन के अनन्तर जन्म का पता लगने पर जननाशौच नहीं होता है। वहां पिता को स्नान ही लगता है।

२१ मृताशौचं तु दशाहोपरि मासत्रयात्पूर्व मरणे ज्ञाते त्रिरात्रम्॥ तत आषष्ठं पक्षिणी॥ तत आनवममहः॥ ततः स्नानोदकदानाभ्यां

शुद्धिरावर्षात्॥ वर्षादूर्ध्वंतु आप्लवमात्रम्॥

परन्तु मृताशौच तो दस दिन के अनन्तर और तीन मास के पहले जाना जाय तो तीन रात्र का आशौच होता है। तीन मास के अनन्तर और छः महीने के पूर्व जाना जाय तो पक्षिणी (डेढ दिन का) आशौच होता है। छः महीने के अनन्तर और नौ मास तक जाना जाय तो एक दिन का आशौच। नौ मास के अनन्तर बारह मास तक जाना जाय तो केवल स्नान और जलाञ्जलि से शुद्धि होती है। एक वर्ष के अनन्तर जानने पर तो केवल स्नान से ही शुद्धि है।

२२ एतच्च त्रिरात्रादिकमाशौचं समानदेशवाच्यम्॥ देशान्तरे तु दशाहादुपरि स्नानमेवेति॥ दशाहाद्यव-च्छिन्नो यः स्वाशौचकालस्तन्मध्ये द्वितीयादौ दिवसे जननमरणयोः श्रवणे तु अवशिष्टैरेव दिवसैः शुद्धिः॥

यह तीन रात्र आदि की जो आशौच व्यवस्था है वह समानदेश (एक ही देश में) जानना। देशान्तर में तो दस दिन के बाद जानने पर केवल स्नान से ही शुद्धि होती है। यदि एक ही देश में आशौच के दो तीन आदि दिन बीत गये हों और उनके बाद यदि उसका पता लगता है तो जितने दिन आशौच के बाकी रहते हैं उतने ही दिन में उसकी शुद्धि हो जाती है।

२३ प्रत्यहं योजनद्वयं गच्छन् पुरुषो यत्र मृतस्य वार्त्ता-माशौचकालमध्ये प्रापयितुं न शक्नोति तद्देशान्तरम्॥ तथाचविप्रस्य दशाहाशौचिनो विंशतियोजनैर्देशान्तरम्॥ क्षत्रियस्यद्वादशाहाशौचिनश्चतुर्विंशतियोजनैर्देशान्तरम्॥ वैश्यस्य पच्चदशाहमाशोचं तस्य त्रिंशद्योजनैशान्तरम्॥ शूद्रस्य मासाशौचं तस्य षष्टियोजनैर्देशान्तराम्॥ सच्छूद्रस्य वैश्यवद्गणना कार्या॥

प्रति दिन दो योजन (आठ कोश) चलने वाला पुरुष मरने वाले की खबर आशौच काल में प्राप्त नहीं करा सकता उसे देशान्तर कहते हैं। वह दस दिन के आशौच वाले ब्राह्मण के लिये बीस योजन (अस्सीकोश) का देशान्तर है। बारह दिन के आशौच वाले क्षत्रिय के लिये चौबीस योजन (छियानवे कोश) का देशान्तर है। पन्द्रह दिन के आशौच वाले वैश्य के लिये तीस योजन (एक सौ बीस कोश) का देशान्तर है। शूद्र को एक मास का आशौच है अतः उसका देशान्तर साठ योजन (दौ सो चालीस कोश) का होता है सच्छूद्र की गणना वैश्य की तरह करना।

२४ इदमतिक्रान्ताशौचं हि दशरात्र न तु त्रिरात्रादाविति सर्वत्र निर्णीतम्॥ तथा सति भट्टोजिदीक्षितैः स्वकृताशौचप्रकरणे "तथा एकाहपक्षिणीत्रिरात्राशौचेषुद्विचतुः षड्योजनरूपदेशान्तराणि प्रयोज्यानीति" लिखितम् तत्र कोऽभिप्राय इतिचेत्तत्राऽयमाशयः॥ दीक्षितलेखो हि स्मृत्यर्थसारे मातुलादिमरणे त्रिरात्रं पक्षिणो

एकाहमाशौचं वेति प्रकारत्रयमुक्तम्॥ तत्र समानग्रामे त्रिरात्रम्॥ ग्रामान्तरे पक्षिणी। देशान्तरे एकरात्रिमिति व्यवस्थापितम्॥ तत्र देशान्तरापेक्षायां षड्भिर्योजनैर्देशान्तरमित्युक्तम्॥ एवं पक्षिण्यादावपि व्यवस्थोक्ता॥ तथा च दीक्षितलेख-स्याऽयमभिप्रायो न तु स्वदेशे त्रिरात्राशौचमतिक्रान्तं कर्तव्यम्॥

यह अतिक्रान्ताशौच दशरात्रि आदि के आशौच में ही समझना। तीन रात्रि के आशौच में यह व्यवस्था नहीं है ऐसा सर्वत्र शास्त्रों में निर्णीत है। यद्यपि भट्टोजिदीक्षित ने अपने बनाये हुए आशौच प्रकरण में लिखा है कि "एक दिन, डेढ दिन और त्रिरात्र आशौच में क्रमशः दो चार, छः योजनरूप देशान्तर समझना" ऐसा लिखा है उसका अभिप्राय क्या है ऐसी जिज्ञासा हो तो उसका यह है। दीक्षित का लेख स्मृत्यर्थसार के अनुसार है। वहां स्मृत्यर्थसार में मामा आदि के मरने में तीन रात्रि, डेढ दिन, और एक दिन का आशौच होता है ऐसे तीन प्रकार बताये हैं। वहां एक ही गांव में तीन दिन का आशौच समझना। ग्रामान्तर में डेढ दिन का और देशान्तर में एक रात्रि का आशौच होता है ऐसी व्यवस्था की है। उसमें देशान्तर क्या है इसकी जब जानने की अपेक्षा होती है तो उसके लिये छः योजन (२४ कोश) का अन्तर बताया है। इसी तरह पक्षिणी आदि में भी व्यवस्था कही है। उक्त लेख से दीक्षित का यह अभिप्राय नहीं है कि स्वदेश में त्रिरात्र

आशौच अतिक्रान्त हो तो भी मानना।

२५ मातृपितृमरणे तु विशेषः। "पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः॥ श्रुत्वा तद्दिनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत्" मातुः सपत्न्यस्त्रिदिनम्॥ स्त्रीपुरुषयोः परस्परं संपूर्णमाशौचम्॥ इति सगोत्राशौचप्रकरणम्॥

माता पिता के मरने में तो विशेषता हैं। "यदि माता पिता मरे हों और पुत्र दूरदेश में भी स्थित हो तो उसका मरण सुनकर उसी दिन से लेकर दश दिन तक सूतकी होता है।" अपनी मां की सोत का तीन दिन का आशौच होता है। स्त्री और पुरुष को तो आपस में पूरा ही आशौच होता है। इस तरह यह सगोत्राशौच प्रकरण पूरा हुआ।

२६ अथ परगोत्र शौचविचारः पित्रोरुपरमे व्यूढकन्यानांत्रिरात्रम्॥ अविवाहितकन्यानां तु पित्रादिमरणे पुत्रवत्संपूर्णमाशौचमिति।

---

१ दस दिन के उपरान्त सुना हो १ दिन का आशौच होता है। ऐसा निर्णय है। काका आदि के मरने में कन्या को आशौच नहीं लगता। मामा के आशौच की तरह काका का भी आशौच होता है "मातुलाशौचवत्पुत्र्याः पितृव्याशौचमिष्यते" इस वचन का मूल कुछ नहीं है ऐसा निर्णयसिन्धु में कहा है।

अब परगोत्रशौच का विचार करते हैं। माता पिता के मरने पर विवाहित कन्या को (१) तीन रात्रि का आशौच। अविवाहित कन्याओं को तो अपने माता पिता के मरने में पुत्र की तरह पूरा ही आशौच होता है।

२७ ऋत्विजि दौहित्रे सहाध्यायिनि बन्धुत्रये शिष्ये श्वशुरे श्वश्वां मित्रे भगिन्यां भागिनेये मातामह्यां पितृष्वसरि मातृष्वसरि मातुले मातुलान्यां च पक्षिणी।

ऋत्विक् (हवन करने वाला) दोहिता, सहाध्यायी (साथमे पढने वाला) (१) बन्धुत्रय, शिष्य, (२) श्वशुर, सास, मित्र, बहिन, भानेज, नानी, भूआ, मोसी, मामा (३) मामी इनके मरने में पक्षिणी (डेढ दिन का) आशौच होता है।

---

१ अवान्तर भेद से ६ बन्धु है उनमे से आत्मबन्धु में जैसे देवदत्त तथा सामने वालों का समान सम्बन्ध है इसलिये परस्पर मरण में परस्पर आशौच है।

२८ बन्धुत्रयं तु, 'आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः ॥ आत्ममातुलपुत्राश्च विज्ञेया आत्मबान्धवाः॥१॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः॥ पितुर्मातुलपुत्राश्च

और बाकी के ६ बन्धु हैं उनमे से कोई मर जाये तो देवदत्त को आशौच लगता है परन्तु देवदत्त के मर जाने पर उन ६ बन्धुओं को आशौच नहीं लगता। क्योंकि देवदत्त के वे बन्धु हैं परन्तु देवदत्त उनका बन्धु नहीं है ऐसा धर्म सिन्धु में "अत्रेदंतत्वम्" इत्यादि लेख में निर्णीत किया है।

२ श्वशुर, सास, भानेज, दोहित्र, मामा, नाना, नानी इनके मरने में तीन दिन का आशौच मानना ऐसा आगे सिद्ध करेंगे। स्त्री के मरने के बाद सास, श्वशुर का १॥ (डेढ़) दिन का सूतक लगता है ऐसा धर्मसिन्धु का मत है।

३ सापत्न मामी के मरने में तो स्नान मात्र और सापत्न मामा के मरने में तो आशौच होता है ऐसा धर्मसिन्धु का मत है।

विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥२॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्राः मातुर्मातृष्वसुः सुताः मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः ॥३॥ इति॥

ऊपर जो बन्धुत्रय बताये हैं वे ये हैं 'अपनी भूआ के लड़के, अपनी मासी के लड़के और अपने मामा के लड़के इनको आत्मबन्धु जानना। पिता की भूआ के लड़के, पिता की मोसी के लड़के और पिता के मामा के लड़के इनको पितृबन्धु जानना। माता की भूआ के लड़के, माता की मोसी के लड़के और माता के मामा के लड़के इनको मातृबन्धु जानना।

२६ पक्षिणीशब्दार्थस्तु दिवा मरणे तदहः अन्तराराात्रिः परद्युश्च॥ रात्रि मरणे तु सा रात्रिः परेद्युरहोरात्रिश्चेति हरदत्तेनोक्तः॥ "आगामिवर्त्तमानाहर्युक्तायां निशि पक्षिणी" इत्यमरकोशव्याख्यायां क्षीरस्वामिनाऽप्युक्तम्। पक्षाविव पक्षौ पूर्वोत्तरदिवसौ तन्मध्यवर्तिनां रात्रिः पक्षिणी॥ निशाद्वयमध्यगो दिवसोऽप्येवमेति॥

पक्षिणी शब्द का अर्थ यह है कि दिनमें यदि मृत्यु हो तो वह दिन और वह रात्रि तथा दूसरा दिन। रात्रि मरण में वह रात्रि और दूसरा दिन और दूसरे दिन की रात्रि ऐसा हरदत्तने कहा है। आगामिवर्त्तमानाहर्युक्तायां

निशि पक्षिणी" इस अमरकोश की व्याख्या में क्षीर स्वामी ने भी पूर्वोक्त ही अर्थ किया है। पहले का और आगे का दिन जिसके पंख की तरह है वह रात्रि पक्षिणी है और इस तरह दो रात्रि के बीच में होने वाला दिन भी पक्षिणी कहा जाता है।

३० "गुर्वन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषुच" इति एक रात्रमाह॥

(१) गुरु (मन्त्रोपदेशक) शिष्य, अनूचान (साङ्गवेद को पढाने वाला) मामा और श्रोत्रिय इनके मरने में एक दिन का आशौच है ऐसा भी कहीं कहा है।

---

१ यहां गुरु, मामा आदि का एक दिन का आशौच आदि होता है ऐसा लिखा। परन्तु त्रिरात्रि का आशौच मानना ही मुख्यपक्ष है आगे निर्भयरामजी ने कहा है "त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति" अथवा सन्निधि-असन्निधि ग्रामान्तर देशान्तर में एक रात्रि, तीन रात्रि और पक्षिणी आशौच होता हैं। "मातुलादौ सन्निधिवि-देशाभ्यां पक्षिण्येकाहयोर्व्यवस्था" ऋत्विक्षु बह्वल्पका-लश्रौतस्मार्त्तयाजननपरे त्रिरात्रैकरात्रे" यह निर्णय-सिन्धु का मत है।

३१ तथा असपिंडस्याऽपि यद्गृहे मरणं तद्गेहस्वामिनां त्रिरात्रमित्यङ्गिरा:॥ एकरात्रमिति विष्णु:॥ अत्र त्रिंशश्लोक्यां तट्टीकायां चैकरात्रमित्येवोक्तम्॥

उसी तरह घर असपिण्ड के मरजाने पर उस घर के स्वामियों को तीन रात्रि का आशौच है ऐसा अङ्गिरा का मत है एक रात्र ही आशौच है ऐसा विष्णु का मत है। यहां त्रिंशश्लोकी में तथा उसकी टीका में भी एकरात्र आशौच है ऐसा ही कहा है।

३२ तथा च बृहस्पति:॥ त्र्यहं मातामहाचार्य श्रोत्रियेष्व-शुचिर्भवेत्" "प्रचेता:" मातृष्वसामातुलयो: श्वश्रूश्वशुरयोर्गुरौ॥ मृते चर्त्विजि याज्ये च त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति॥इति॥ एवं मातामह्यामपि त्रिरात्रमपि मुख्य: पक्ष:॥

और बृहस्पति ने भी ऐसा कहा है कि नाना, आचार्य, श्रोत्रिय इनके मरने मे तीन दिन का आशौच है। प्रचेता का कहना कि मासी, मामा, सास और श्वसुर, गुरु, ऋृत्विज इनके मरने में तीन रात्रि से शुद्धि होती है। इसी तरह नानी का भी तीन रात्रिका ही आशौच है ऐसा ही मुख्य पक्ष है। पहले सामान्य रूप से डेढ दिनका आशौच बताया था किन्तु जिनका तीन दिन का आशौच है उनकी गणना पुन: कर दी है।

३३ वशिष्ठ: "संस्थिते पक्षिणी रात्रिर्दौहित्रे भगिनीसुते। संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्था:" इति एतद्वचनव्याख्याने

दौहित्रे भागिनेये च मृते उपनयनात्पूर्वं पक्षिणी। उपनयनानन्तरं त्रिरात्रमाशौचमित्येव ग्रन्थकारैर्व्याख्यातं न त्वाशौचकालो निर्णीतः॥

वशिष्ठजी ने कहा है कि-दोहिता, भानेज असंस्कृत (विना यज्ञोपवीत (हों उनके मरण में डेढ दिन का आशौच होता है और संस्कृत (यज्ञोपवीत वाले) हों तो उनके मरण मे तीन दिन का आशौच होता है ऐसी धर्म की व्यवस्था है' इस वचन के व्याख्यान में उपनयन (यज्ञोपवीत) के पहले दौहित्र और भानेज के मरने में डेढ दिन का आशौच है और यज्ञोपवीत के अनन्तर मरने में तीन दिन का आशौच है ऐसा ग्रन्थकारों ने व्याख्यान किया है आशौचकाल का निर्णय नहीं किया है किन्तु-

३४ काशीस्थापायगुंडोपनामकबालभट्टेन स्वकृतमिताक्षराटीकायां दौहित्रभागिनेययोर्मरणे दाहात्पूर्वं स्नानमात्रं तदनन्तरमुपनयनात्प्राक् पक्षिणी तदनन्तरं त्रिरात्रमिति निर्णीतं तदेव मतमादरणीयम्॥

काशीस्थ पायगुण्डोपनामक बालकृष्णभट्टने अपनी बनाई हुई मिताक्षरा टीका में दौहित्र और भागिनेय के मरण में दाह न किया हो उसने पहले तो केवल स्नान से ही शुद्धि होती है तदनन्तर यज्ञोपवीत के पहले डेढ दिन का और यज्ञोपवीत के अनन्तर तीन दिन का आशौच है ऐसा निर्णय किया है उसी मत का आदर करना चाहिये।

३५ एवं बन्धुत्रयमरणे दाहात्प्राक्स्नानमात्रं तत उपनयनात्प्राक् एकाहः तदनन्तरं पक्षिणी। एवंस्त्र्यपत्यबन्धुत्रयेऽपिज्ञेयम्॥ स्त्रीणामुपनयनस्थानीयो विवाहः। शुद्धि मयूखे तु उपनयनात्प्राक् स्नानमात्रमित्युक्तम्।

ऐसे ही बन्धुत्रय के मरने में भी दाह से पूर्व स्नान मात्र और उसके अनन्तर उपनयन से पहले एक दिन और उपनयन हो जाने पर डेढ दिन। इसी तरह स्त्र्यपत्य बन्धुत्रय में जानना अर्थात भूआ की बेटी, मोसी की बेटी, मामा की बेटी। पिता की भूआ की बेटी पिता की मोसी की बेटी, माता की मोसी की बेटी, माता की मामा की बेटी मरी होतो दाह से पूर्व स्नान विवाह के पहले एक दिन और विवाह के अनन्तर डेढ दिन का आशौच होता है। स्त्रियों के लिये उपनयन के स्थान में विवाह माना गया है। शुद्धि मयूख मे तो यज्ञोपवीत के पहले स्नान मात्र ही लिखा है।

३६ पितुर्मातुलादिमरणे मातुर्मातुलादिमरणे च पक्षिणी। तदुक्तं षडशीत्याम् "एवं पित्रोर्भगिन्यौ ये ये पितामहयोस्तथा॥ ये मातामहयोश्चैवभगिन्यौ- तत्प्रजाश्चयाः॥ मातुलाः स्वस्य पित्रोश्च पत्न्यश्चैषां प्रजाश्च याः मातारश्चेति सर्वेषु पक्षिणी स्वगृहे त्र्यहम्" अत्र प्रमाणं तु कैमुतिकन्याय एवं यदि पितृमातुलपुत्रे आशौचं तर्हिपितृमातुलादौ आशौचमस्तीति किमु वक्तव्यमिति समूलमेव। अयमेव निर्णयो गोकुलस्थवंशमयभट्टोपनामकबालकृष्णभट्टकृत आशौचनिर्णयेऽति

स्फुटोस्ति॥

पिता के मामा आदि के मरने में और माता, मामा के मरने में डेढ़ दिन का आशौच लगता है। यह षडशीति ग्रन्थ में लिखी है इसी तरह भुआ तथा मोसी का और उनकी सन्तानों का, पिता की भुआ तथा पिता की मोसी का उनकी सन्तानों का माकी भूआ तथा माकी मोसी और उनकी सन्तानों का, इसी तरह स्वयं का मामा, पिता का मामा, माता का मामा, स्वयं की मामी, पिता की मामी, माकी मामी तथा इन तीनों की सन्तानों का अर्थात् स्वयं के मामा मामी, पिता के मामा मामी, माता के मामा मामी की सन्तानों का डेढ दिन का आशौच है। इसी तरह अपनी नानी, माकी नानी, पिता की नानी इनका

---

१ बापकी भूआ बापकी मासी, माकी भूआ माकी मासी बाप के मामा मामी, माके मामा मामी, बाप की नानी, माकी दादी, माकी नानी इनके आशौच मानना यहां लिखा है और कैमुतिकन्याय का प्रमाण भी दिया है परन्तु इतने दूर के सम्बन्ध का आशौच आजकल नहीं माना जाता है। निर्णय सिन्धु में इसलिये इस वचन को लिखाकर इसे निर्मूल बताया है "निर्मूलत्वान्मिताक्षरादि विरोधाच्चोपेक्ष्यम्" परन्तु निर्भयरामजी ने निर्णय सिन्धु पर कटाक्ष किया है।

भी डेढ दिन का आशौच होता है यदि इनकी मृत्यु अपने घर में हो तो तीन दिन का आशौच होता है। यहां कैमुतिकन्याय से यदि पिता के मामा के पुत्र के मरने में आशौच होता है तो पिता के मामा के मरने में आशौच क्यों न होगा। अतः निर्णय सिन्धु में जो लिखा है कि "निर्मूलत्वान्मिताक्षरादि विरोधाच्चोपेक्ष्यम्" सो यह कथन निर्मूल नहीं है समूल है। इसी निर्णय को गोकुलस्थ भट्ट बालकृष्ण ने अपने आशौच निर्णय में स्पष्ट किया है।

३७ अनौरसेषु पुत्रैषु जातेषु मृतेषु वा पितुस्त्रिरात्रम्॥

अनौरस (दत्त-क्रीत-कृत्रिम आदि) पुत्र अर्थात् अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न न हों किन्तु गोद आदि के पुत्र के जन्म में वा मरण में पिता को तीन रात्रि का आशौच है।

३८ अन्याश्रितासु स्त्रीषु मृतासु प्रसूतासू च पूर्वा-परपत्योस्त्रिरात्रम्॥

यदि स्त्री दूसरे के चली गई हो वह मर जाय या उसके सन्तान उत्पन्न होतो पहले के पति तथा दूसरे पति दोनों को तीन दिन का आशौच लगता है।

३९ भिन्नपितृकसोदरे भ्रातरि जाते मृते च क्रमेण एकरात्रत्रिरात्रौ॥

माता तो एक हो किन्तु पिता भिन्न हों ऐसे भाइयों के जन्म में और मरने में क्रम से एक रात्रि का और त्रिरात्रिका आशौच लगता है अर्थात् जन्म में

एक दिन का और मरने में तीन दिन का।

४० यदा पित्रोस्त्रिरात्रं तथा सपिण्डानामेकाहमिति ग्रन्थका-रैर्व्यवस्थापितं तथाऽपि तादृशस्थले सपिण्डानामपि त्रिरात्रमित्येव व्यवहार:॥ समानोदकादीनां स्नानमात्रम्॥

जब माता पिता को तीन रात्रि का अशौच लगता है तो सपिण्डों को एक रात्रि का आशौच होता है ऐसी व्यवस्था ग्रन्थकारों ने की है तथापि वैसी जगह सपिण्डों को भी तीन रात्रि का ही आशौच है ऐसा व्यवहार है। समानोदक आदि को तो स्नान मात्र है।

४१ अथाऽऽशौचसन्निपाते निर्णय:॥ तत्र जननाशौचमध्ये जननाशौचे समे स्वल्पके वा पूर्वशेषेणैव शुद्धि:॥

अब आशौच सन्निपात (आशौच के अन्दर दूसरे आशौच के आने) का निर्णय करते हैं। वहां जननाशौच के बीच में यदि कोई दूसरा जननाशौच सम अथवा अल्प आजाय तो पूर्व आशौच के जितने दिन बाकी हों उसी में दूसरा आशौच निवृत्त हो जाता है।

४२ मरणाशौचमध्ये मरणाशौच समे स्वल्पके वा पूर्वशेषेणैव शुद्धि:॥

मरणाशौच में दूसरा मरणाशौच (1) सम अथवा अल्प आजाय तो पूर्व आशौच के जितने दिन बाकी हों उतने दिन में ही दूसरे आशौच की भी निवृत्ति हो जाती है।

४३ इदं पूर्वशेषेण शुद्धिविधानं नवमदिनपर्यन्तम्। दशमदिने रात्रौ वा दशाहान्तरपाते अधिकाभ्यां द्वाभ्यां दिनाभ्यां शुद्धिः॥

यह पूर्व शेष से शुद्धि का विधान नो दिन पर्यन्त ही है। यदि (२) दशवें दिन या दशवीं रात्रिमें दूसरा दस दिन का आशौच प्राप्त हो जाय तो दो दिन अधिक आशौच मानकर शुद्धि होती है।

---

१ तीन दिन के आशौच में दस दिन के आशौच की निवृत्ति नहीं होती है। जननाशौच में मरणाशौच की निवृत्ति नहीं होती है। कोई ऐसा कहते हैं कि छोटे के सूतक में बड़े के मरने में छोटे के साथ बड़े का आशौच नहीं उतरता किन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।

२ दसदिन में आशौच में दूसरा आजाय तो पूर्वशेष से शुद्धि नहीं होती है ऐसा जो पक्ष यहां लिखा है वह विचारणीय है क्योंकि मनु, पराशर आदि का मत ऐसा ही है "अन्तर्दशाहे स्यातांचेत्पुनर्मरणजन्मनी। तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम्।" परन्तु निर्णय सिन्धु का निर्णय ऐसा है कि "रात्रिशेषे सति द्वाभ्यां प्रभाते तिसृभिः" दसवें दिन को रात्रि बाकी हो और आशौच प्राप्त होतो दस दिन के बाद दो दिन अधिक आशौच मानना और रात्रि के अन्तिम प्रहर में आशौच प्राप्त होतो दस दिन से अधिक तीन रात्रि का आशौच और मानना यह पक्ष ही अब प्रचलित है।

४४ दशमदिनरात्रौ यामावशिष्टायां दशाहान्तर पाते त्रिभिर्दिनैः शुद्धिः॥

यदि दशवें दिन की रात्रि के पूरे होने में एक प्रहर बाकी हो और उस समय यदि दूसरा आशौच प्राप्त हो तो दस दिन के बाद दूसरा तीन दिन अधिक आशौच मानना चाहिये।

४५ तन्मध्येऽपि दशाहान्तरपाते न पूर्वेणद्विरात्रेण त्रिरात्रेण वा शुद्धिस्तयोर्लघुत्वात् किन्तु उत्तरमेवपूर्णं कर्त्तव्यं गुरुत्वात्॥

यदि अधिक माने गये दो दिन या तीन दिन में पुनः कोई दस दिन का आशौच हो जाय तो पूरा ही आशौच मानना चाहिये।

४६ अत्र षडशीत्यां विशेषः पूर्वाशौचे तु या शुद्धिः सूतके मृतकेऽपि च। सूतिकामग्निदं हित्वा प्रेतस्य च सुतानपीति।'' अत्राऽग्निशब्देन मन्त्राग्निदानमा-रभ्यैऔर्ध्वदैहिककर्त्ता बोध्यः॥

यहां षडशीति में विशेषता है ''सूतक (पिण्डरू) में और मरण में जो पहले के आशौच के बचे हुए दिनों में ही शुद्धि बताई गई है वह सूतिक (सुवावडी स्त्री) को छोड़कर तथा जिसने प्रेत का अग्नि संस्कार किया है उसको छोड़कर समझना। अर्थात् प्रसव में सुवावडी स्त्री को पूरा ही जननाशौच होता है और प्रेत (मृतक) का जो समन्त्रक अग्नि संस्कार करता है क्रिया आदि करता है उसे तो पूरा ही आशौच होता है। मृतक के लड़कों को भी पूरा ही आशौच होता

है उनके आशौच की निवृत्ति पूर्वशेष से नहीं होती।

४७ सपिण्डाशौचमध्ये पित्रोर्मरणे सति न पूर्वशेषेण शुद्धिः किन्तु संपूर्णाशौचमेव॥

सपिण्डों के आशौच में यदि माता पिता की मृत्यु हो जाय तो पूर्वशेष से (पहले सूतक के बचे हुए दिन में) शुद्धि नहीं होती किन्तु पूरा ही आशौच मानना होगा।

४८ सपिण्डाशौचमध्ये स्त्रीमरणे तु पूर्वशेषेण शुद्धिर्भवत्येव निषेधाभावात्॥

सपिण्डों के आशौच में यदि स्त्री की मृत्यु हो जाय तो पहले सूतक के बचे हुए दिनों में ही शुद्धि हो जाती है क्योंकि इसके लिये कोई निषेध वचन नहीं है।

४९ पित्राशौचमध्ये मातृमरणे मातुरधिका पक्षिणी कार्या। इयं च पक्षिणी नवमदिनपर्यन्तं तदनन्तरं तु पूर्ववदेव॥

पिता के आशौच में नो दिन के बीच में यदि माता की मृत्यु हो जाय तो पिता के आशौच की निवृत्ति के अनन्तर डेढ दिन का आशौच अधिक मानना चाहिये। नो दिन के बाद मरने मे तो पूरा ही आशौच है।

५० केचित्तु पित्राशौचमध्ये दशमदिवशे मातृमरणे द्व्यहसमुच्चिता पक्षिणी। रात्रिचतुर्थयामे मातृमरणे त्र्यहसमुच्चिता पक्षिणीत्याहुः। अत्र युक्तं त्विदमेव॥

किन्ही का ऐसा मत है कि पिता के आशौच के मध्य में यदि दसवें दिन माता का मरण हो तो दो दिन अधिक पक्षिणी आशौच होता है अर्थात् साढे तीन दिन का आशौच होता है। और दसवें दिन की रात्रि को चौथे प्रहर में माके मरने पर तीन दिन अधिक ऐसे डेढ दिनका अर्थात् साढे चार दिन का आशौच होता है। यहां उचित भी यही है।

५१ मात्राशौचमध्ये पितृमरणे तु संपूर्णमेव॥ (१)

माता के आशौच के अन्दर यदि पिता की मृत्यु हो जाय तो पूरा ही आशौच मानना चाहिये।

५२ अथाऽस्थिस्पर्शो विचारः॥ मानुषास्थिनि सरसे बुद्धिपूर्वकं स्पृष्टे त्रिदिनम्॥ विरसे एकदिनम्। अबुद्ध्या मानुषास्थिनि सरसे स्पृष्टे स्नानं विरसे त्वाचमनम्॥

अस्थि स्पर्श का विचार करते है- जानकर के यदि मनुष्य की गीली हड्डी को छुए तो उसे तीन दिन का आशौच होता है। जानकर यदि सूकी हड्डी का स्पर्श

---

१ क्षेपक- एक पुस्तक में इतना अधिक पाठ है "मात्र शौचे पितृमरणे संपूर्णमाशौचं भवति तदा मातुः सपिण्डीदिने तु पितुराशौचमाशौचे सपिण्डीकरणे नाऽधिकारस्तदा पितुराशौचसमाप्त्यनन्तरं मुहूर्त-विचारेण सपिण्डीकार्या। पितुस्तु तद्द्वादशादिने। एवं मातुरधिकपक्षिण्यामधिकाशौचविधानेऽपिज्ञेयम्"

करे तो एक दिन का आशौच माने। बिना जाने यदि मनुष्य की गीलीहड्डी का स्पर्श होतो स्नान से शुद्धि होतो है और सूकी के स्पर्श में आचमन से शुद्धि होती है।

५३ अमानुषास्थिसंस्पर्शे सरसे स्नानं विरसे त्वाचमनम्॥

पशु पक्षि आदि की गीली हड्डी के स्पर्श में स्नान से शुद्धि होती है और सूकी के स्पर्श में आचमन से शुद्धि होती है।

५४ अथाऽन्यविचार:। इदं चाऽऽशौचमाहिताग्नेरुपरमे संस्कारदिवसप्रभृति कर्त्तव्यम्॥ अनाहिताग्नेस्तुमरणदिवसप्रभृति॥

अब अन्य विचार करते हैं-अग्नि होत्री के मरने में उसका आशौच जिस दिन अग्नि संस्कार करते हैं उस दिन से माना जाय और अन्य का आशौच जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उसी दिन से आशौच मानना चाहिये।

५५ अस्थिसंचयनं तु "प्रथमेऽन्हित्र द्वितीयेऽन्हित्र" इत्यादिना विहितमुभयोरपि संस्कारदिवसप्रभृत्येव॥

अस्थि संचय तो अग्नि होत्री का तथा अन्य का अग्नि संस्कार के दिन से ही पहले दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन आदि से करना।

५६ आशौचिनामन्ने सकृदभुक्ते यस्मिन् दिने भुक्तं ततः [illegible]शौचम्॥

आशौच वाले के अन्न को एक बार खाने वाले को जिस दिन उसने अन्न खाया है उस दिन से लेकर आशौच के जितने दिन बाकी हों उतने दिन का आशौच होता है।

५७ सजातीयस्योत्कृष्टसजातीयस्यवाऽनुगमने सचैलस्नानमग्नि-स्पर्शो घृतप्राशनं च॥

अपनी जाति के शव के पीछे जाने में अथवा अपने से उत्कृष्ट जाति के अनुगमन मे सवस्त्र स्नान करना अग्नि स्पर्श करना तथा घृत भक्षण करना चाहिये।

५८ ब्राह्मणस्य क्षत्रियानुगमने एकरात्रमाशौचम्॥ वैश्यानुगमने पक्षिणी॥ शूद्रानुगमने त्रिरात्रमिति॥ एवं क्षत्रियादेरपि हीनवर्णानुयाने एकाहादि॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय के शव का अनुगमन करे तो एक रात्रि का आशौच होता है। ब्राह्मण वैश्य का अनुगमन करे तो डेड दिन का आशौच और शूद्र के अनुगमन में तीन रात्रि का आशौच होता है। इसी तरह क्षत्रिय आदि हीन वर्ण का अनुगमन करे तो एक दिन, डेढ़ दिन आदि आशौच होता है। अर्थात् क्षत्रिय को वैश्य के अनुगमन में एक दिन का आशौच और शूद्र के अनुगमन में डेढ दिन का आशौच। वैश्य शूद्र का अनुगमन करे तो एक़ दिन का आशौच होता है।

५९ धर्मार्थद्विजनिर्हरणे तु पदे पदे ज्योतिष्टोमफलं भवति। अवगाहमात्रेण शुद्धिः॥

धर्मार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के शव को उठाकर ले जाने में ज्योतिष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जल में डुबकी लगाकर स्नान करने से ही सद्यः शुद्धि होती है।

६० शूद्रस्य त्वनाथस्याऽपि धर्मार्थमपि द्विजनिर्हरणादि न कार्यमेव॥

अनाथ शूद्र के शवका भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य निर्हरणादि (शव के लेजाने आदि का कार्य) न करे।

६१ स्नेहादिना सजातीयशवनिर्हरणे एकाहः॥

प्रेम से यदि सजातीय शव का निर्हरण करे तो एक दिनका आशौच लगता है। अर्थात् दिन में शवका वहन किया होतो रात्रि में तारा देखकर शुद्ध होता है और यदि रात्रि में शव का वहन किया होता प्रातः सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है।

६२ पित्रादिनिर्हरणे आशौचिनामन्नं ब्रह्मचारी नाऽश्नीयात्॥

ब्रह्मचारी अपने पिता माता आदि के शव का निर्हरण करे तो भी आशौच वालों का अन्न न खाय क्योंकि आशौच वाले ब्रह्मचारी से अधिक अशुद्ध है।

६३ अहिताग्नौ पितरि देशान्तरे मृते तत्पुत्रादीनामासंस्कारो-पक्रमादाशौचं नाऽस्त्येव॥

अग्निहोत्री पिता देशान्तर में मरजाय तो उसका आशौच पुत्र आदि को संस्कार के आरम्भ के पहले नहीं लगता है।

६४ अनाहिताग्नेस्तु विधिवद्दाहाभावे तदानोमाशौचग्रहणं वैकल्पिकम्॥

जो अग्निहोत्री न होय और विधिवत् उसका दाह संस्कार न हुआ होतो उसका सूतक मरण तिथि से माने तो भी ठीक और न माने तो भी ठीक है।

६५ तत्र गृहीताशौचानां संस्कारकाले पुनस्त्र्यहमाशौचम्॥ अगृहीताशौचानां तु सम्पूर्ण दशाहाद्येव॥

जिनने मरण के दिन से आशौच मान लिया है उनको संस्कार के समय पुनः तीन दिन का आशौच मानना चाहिये और जिनने आशौच नहीं माना है उन्हें तो पूरा दस दिन का ही आशौच मानना चाहिये।

६६ पुत्राणां पत्न्याश्चेयं व्यवस्था॥

मरने वाले के पुत्र और पत्नी के लिये भी ये ही व्यवस्था है। अर्थात् मरने वाले के पुत्र ने तथा स्त्री ने पहले यदि आशौच पालन किया है तो उन्हें संस्कार (१) (पर्णशर दाहादि) करते समय तीन दिन का सूतक मानना चाहिये और यदि पहले सूतक नहीं माना है तो संस्कार के समय दस दिन का आशौच मानना चाहिये।

---

१ कुश का अथवा ढाक की समिधा का पुतला बनाकर उसका दाह किया जाता है उसे पर्णशर दाह कहते हैं। "कुर्याद्दर्भमयं प्रेतं दर्भैस्त्रिशतषष्टिभिः (३६०)। पालाशीभिः समिद्भिर्वा संख्याचैवं प्रकीर्त्तिताः"

६७ पत्नी संस्कारे पत्युश्चैवं सपत्न्योर्मिथश्चचैवम्॥

और यदि स्त्री मर गई हो और उसका दशाह आशौच यदि पति ने पहले माना होतो पति को संस्कार के समय तीन दिन का आशौच होता है और यदि आशौच न माना होतो संस्कार के समय पति को पूरे दस दिन का आशौच होता है। सोत के मरने पर भी उसकी सोत के लिये भी पति के समान आशौच की व्यवस्था समझनी अर्थात् सोतने यदि सोत का सूतक पहले माना हो तो संस्कार के समय तीन दिन का और यदि न माना हो तो संस्कार के समय दस दिन का आशौच माने।

६८ अगृहीताशौचानां सपिण्डानां तु त्रिरात्राशौचम्॥

गृहीताशौचानां तु सपिण्डानां पुनराशौचं नाऽस्त्येव॥

जिन सपिण्डों ने पहले आशौच न माना हो तो उन्हें पर्णशर दाहादि के समय तीन दिन का आशौच मानना चाहिये। यदि पहले आशौच मान लिया होतो पर्णशर दाहादि के समय में आशौच नहीं लगता है। केवल स्नान मात्र ही है।

६९ आहिताग्नेस्तु प्रतिकृतिदाहे सपिण्डानां दशाहमेव। अत्र

गृहीताशौचत्वपक्षो मुख्यः॥

अग्निहोत्री का तो प्रतिकृति दाह (पर्णशंर दाह) के समय सपिण्डों को दस दिनका आशौच होता है। यहां गृहीताशौच पक्ष ही मुख्य है अर्थात् अग्निहोत्री की जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन से ही आशौच मानना ये ही मुख्य पक्ष है।

७० इदंचाऽऽशौचं द्विविधम्। अस्पृश्यश्यत्वप्रयोजक कर्मानधिकारलक्षणं च। पुत्रे जाते पितुरास्नानामस्पृश्यता मातुर्दशाहम्। कर्मानधिकारलक्षणं स्त्रीजनन्या मासम्। पुत्रजनन्या विंशत्रिरात्रम्। सपिण्डानां तु जननाशौचे अस्पृश्यता नाऽस्त्येव। किन्तु कर्मानधिकारमात्रम्॥

यह आशौच दो प्रकार का है एक तो वह है जिसमे अस्पृश्यता होती है और दूसरा वह है जिसमें कर्म करने का अधिकार नहीं होता। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता जब तक स्नान नहीं करता है तब तक वह अस्पृश्य रहता है और माता दस दिन तक अस्पृश्य रहती है। जिस स्त्री के लड़की होती है उसे एक मास तक कोई भी देवकार्य या पितृकार्य करने का अधिकार नहीं रहता। परन्तु यदि उसके पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो उसको बीस दिन तक कर्म का अधिकार नहीं होता। सपिण्डों को तो जननाशौच में अस्पृश्यता

होती ही नहीं किन्तु कर्म में अधिकार नहीं होता है।

७१ आरब्धेषु व्रतयज्ञविवाहादिषु तत्तत्कार्ये आशौचाभाव:। "आरम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयो:। नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया। अन्नसत्रप्रवृत्तानामामन्नमगर्हितम्। भुक्त्वा पक्वान्नमेतेषां त्रिरात्रं तु पय: पिबेत्" शुद्धिमयूखे च "शिवविष्णवर्चनं दीक्षा यस्य त्वग्निपरिग्रह: स तत्कर्माणि कुर्वीत स्नात: शुद्धिमवाप्नुयात्' एतद्वचनं गोस्वामिपुरुषोत्तमैर्वाराहपुराणोक्तद्वात्रिंशदपराधटीकायां स्फुटं लिखितमस्ति॥

व्रत-यज्ञ-विवाह आदि का कार्य आरम्भ कर दिया हो तो उन उन कार्य में आशौच का (१) अभाव होता है। आरम्भ किसे कहते हैं इसे बनाते हैं। "यज्ञ (दर्श पौर्णमास आदि) में ब्राह्मण का वरण कर लिया हो उसे यज्ञारम्भ कहते हैं। व्रत (कृच्छ्रचान्द्रायण आदि) के करने के संकल्प को व्रतारम्भ कहते हैं क्षेत्र में भी जो संकल्प किया हो उसे सत्रारम्भ कहते हैं। विवाह यज्ञोपवीत आदि में जब नान्दीमुख श्राद्ध किया जा चुका हो उसे आरम्भ कहते हैं श्राद्ध में पाक सिद्धि का आरम्भ कहते हैं इन पूर्वोक्त आरम्भ में आशौच नहीं होता है सूतकी यमजान के अन्नक्षेत्र से आमान्न लिया होतो कोई दोष नहीं किन्तु वहां से यदि पक्वान्न लेकर खाता है तो उसे तीन दिन तक केवल

दूध ही पीकर रहना चाहिये तब उसकी शुद्धि होती है और शुद्धि मयूख में लिखा है कि "जिसकी यज्ञादिक में दीक्षा हुई है और जो अग्निहोत्री है वह स्नान करके शिव की विष्णु की पूजा कर सकता है तथा अन्य सब कार्य भी कर सकता है" इस वचन को गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजी ने वाराह पुराणोक्त द्वात्रिंशदपराध की टीका में स्पष्ट लिखा हैं।

---

१. आशौच के अभाव का तात्पर्य यह है कि जितने समय तक यज्ञादि कार्य करते है उतने समय तक ही वह शुद्ध रहता है जब कार्य का विराम होता हैं तब अशुद्धि हो जाती है। पुनः दूसरे या तीसरे दिन जब उस कार्य को करे उतने समय तक ही शुद्धि रहती है। इससे ऐसा न समझ लिया जाय कि यज्ञादिककी दीक्षा होने पर चाहे कोई भी कार्य करे शुद्ध ही रहता है किन्तु यह शुद्धि भी संकटकाल में ही समझना "अयं चाऽऽशौचाभावोऽनन्यगतित्वे आर्त्तौ च ज्ञेयः" इति निर्णय सिन्धुः।

७२ अथ पैठीनसिः सूतके सन्ध्यादिविचारः॥

"अर्ध्यान्ता मानसीसन्ध्या (१) प्राणायामवि

---

१ कुशवारिविवार्जिता ऐसा भी कहीं पाठ है।

वर्जितः। अञ्जलिप्रक्षेपस्तु सावित्रीमुच्चार्य कार्यः" सूतकादौ बलिदानं प्राणाहुतिश्च कार्या तत्स्मृत्यर्थसारे मयूखे चोक्तम्। वैश्वदेवस्तु न कार्य इति चोक्तम्॥

महर्षि पैठीनसिने सूतक में सन्ध्या आदि का विचार किया है वह इस तरह हैं- सूतक में सूर्याध्र्य पर्यन्त मानसी सन्ध्या करनी चाहिये। प्राणायाम नहीं करना। सूर्य को अञ्जलि देते समय गायत्री का उच्चारण करना। सूतक आदि में बलिदान प्राणाहुति करनी चाहिये ऐसा स्मृत्यर्थसार में तथा मयूख में है वैश्वदैव नहीं करना चाहिये ऐसा कहा है।

७३ अथ स्नानविचारः। तत्र स्वल्प सम्बन्धेऽपि स्नानमित्येव सर्वत्रोक्तम्। संबन्धविशेषस्तु नोक्तस्तथाऽपि शास्त्रानुसारिण्या युक्त्या संबन्धविशेषो निर्णीयते तत्र "श्यालके तत्सुते चैव सद्यः स्नानेन शुद्ध्यति" इत्यादि वृद्धवशिष्ठवचनेन स्फुटं स्नानमुक्तं तत्र संदेह एव नाऽस्ति। एवं जामात्रादावपि।

अब स्नान का विचार करते हैं- उसमे संबन्ध हो तो भी स्नान करना ऐसा सर्वत्र कहा है सम्बन्ध विशेष यहां नहीं कहा है तथापि शास्त्र के अनुसार युक्ति से सम्बन्ध विशेष का निर्णय किया जाता है "साले के तथा साले के पुत्र के मरण मे स्नान से सद्यः शुद्धि होती है" इत्यादि वचन से सम्बन्ध विशेष का निर्णय किया है। वृद्ध वसिष्ठ के वचन से स्नान स्पष्ट रूप से कहा गया है इसलिये यहां कोई सन्देह नहीं है। इसी तरह जमाई आदि के विषय में भी स्पष्ट है।

७४ विवाहिताकन्यानां तु मूलपुरुषमारभ्य पच्चमव्यक्तिपर्यन्तं स्नानमिति मुख्यः पक्षः। तदनन्तरं विवाहयोग्यतायाः सत्वान्न स्नानम् यद्यपि योगीश्वरयाज्ञवल्क्येन "पच्चमात्सप्तमादूर्ध्वमातृतः पितृतस्तथा" इत्युक्तं तथापि पञ्चमादूर्ध्व सर्वत्र विवाहव्यवहारः (१) सुप्रसिद्धः

---

१ सुप्रसिद्ध एव इत्यपि पाठः।

किं च बन्धुत्रयापत्यमरणोऽपि स्नानं स्वल्पसम्बन्ध-सत्वात्। एव मन्यत्रापि ज्ञेयम्॥

विवाहिता कन्याओं का मूल पुरुष से लेकर पांच पीढी तक स्नान ही लगता है ऐसा मुख्यपक्ष हैं। उसके आगे अर्थात् छठीं पीढी में तो विवाह की योग्यता होने से स्नान नहीं लगता है। यद्यपि योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने कहा है कि "माता पिता से पञ्चम सप्तम पीढी से आगे विवाह होता है" किन्तु अब तो पञ्चम पीढी से ही सब जगह विवाह व्यवहार सुप्रसिद्ध है। किन्तु बन्धु त्रयके पुत्रादि के मरण में स्वल्प सम्बन्ध होने से स्नान लगता है। इसी तरह अन्यत्र भी स्वल्प सम्बन्ध में स्नान लगता है।

७५ हरिहरभाष्ये वृद्धशातातापः। "शिशोरभ्युक्षणं कार्यं बालस्याचमनं स्मृतम्। रजस्वलादिसंस्पर्शे स्नातव्यं च कुमारकैः" बालादिस्वरुपं च तत्रैवोक्तम्। "प्राक्चूडा करणाद्बालः प्रागन्नप्राशनाच्छिशुः। कुमारकः स विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनम्" इति॥

बालक की शुद्धि का विचार हरिहरभाष्य में वृद्धशातातप किया है "रजस्वला आदि का स्पर्श हो जाने पर शिशु की अभ्युक्षण (जलके छीटे शरीर पर डालने) से शुद्धि होती है और बालक की शुद्धि जल के आचमन कराने से हो जाती है। शिशु तथा बालक का स्वरूप भी उन्होंने वहां इस तरह बताया है। "जब तक चूडाकर्म संस्कार (मुण्डन) न हुआ हो उसे बालक कहते हैं और अन्न प्राशन जब तक न हुआ हो उसे

शिशु कहते हैं तथा जब तक यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो कुमार कहा जाता है।

७६ अत्र रजस्वलादीत्यादिपदेन सूतकिस्पर्शेऽप्येवं ज्ञेयम्। सूतकिस्पर्शाद्रजस्वलास्पर्शे दोषाधिक्यान्नात्र संशयः "सूतकाद्‌द्विगुणं शावं शावाद् द्विगुणमार्त्तवम्। आर्त्तवाद् द्विगुणा सूतिस्ततोऽपि शवदाहकः" इति स्मृतेः॥

इत्याशौचविचारो हि सदाचारानुसारकः। विदा निर्भयरामेणकृतोऽयं जनशुद्धये॥१॥ इतिश्रीद्वारकाधीशराजधानीकांकरोलीस्थनागरज्ञातीय-विश्वनगर वास्तव्यनिर्भयरामभट्टकृत आशौचनिर्णयः समाप्तः॥

पूर्व में रजस्वलादि में जो आदि पद दिया है सूतकी का स्पर्श भी उसी तरह जानना सूतकी के स्पर्श से भी रजस्वला के स्पर्श में अधिक दोष है इसमे कोई संशय नहीं "सूतक (जननाशौच) से मरणाशौच में दुगुनी अशुद्धि है और मरणाशौच से भी दुगुनी अशुद्धि रजस्वला में मानी है और रजस्वला से दुगुनी अशुद्धि सूतिका (सुवासडी) की है और उससे दुगुनी अशुद्धि शवदाह करने वाले की है" ऐसा स्मृति का वचन है। इस तरह सदाचार के अनुसार आशौच का विचार जन शुद्धि के लिये निर्भयराम विद्वान् ने किया है"।

द्वारकाधीश राजधानी में रहने वाले विश्वनगर निवासी नागर ब्राह्मण निर्भयरामभट्ट कृत आशौच निर्णय समाप्त हुआ।

नाथद्वारानिवासी गुर्जरगौड़ ब्राह्मण रामकृष्णात्मज त्रिपाठी नारायण शर्मा कृत हिन्दीभाषा संपूर्ण।

नाथद्वारा व मन्दिर विस्तार की योजनाएँ

श्रीमद् वल्लभ भवन परिसर

श्री गोवर्द्धन पर्वत परिक्रमा

श्री प्रीतमपोल परिसर

लालबाग सौंदर्यीकरण

CHOUDHARY